शीर्ष प्राथमिकता

संख्याः-67 /2024/ 2058/छिहत्तर-1-2024/1636701

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम, लिमिटेड, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जी-5/6, सेक्टर-10, द्वारिकापुरी, नई दिल्ली-110075
6. प्रबन्ध निदेशक, गेल इंडिया लिमिटेड गेल भवन, 16 भीकाजी कामा प्लेस, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 04 अक्टूबर 2024

विषय:- 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं को क्षतिग्रस्त न किए जाने के संबंध में।

महोदय,

'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को मानक के अनुरूप शुद्ध पाइप पेयजल उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मिशन के अन्तर्गत कार्य मिशन मोड पर तीव्र गति से कराया जा रहा है।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु बिछाई गयी/ बिछाई जा रही पाइप लाइन को अन्य विभागों द्वारा कार्य कराते समय क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है। प्रदेश के अन्य विभागों यथा- लोक निर्माण विभाग, राज्य राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियंत्रण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा अपना कार्य कराते समय न तो उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ / संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को सूचित किया

जाता है और न ही नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ही प्राप्त किया जा रहा है।

3- उक्त के साथ ही अन्य विभागों की कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत क्रियान्वित की गयी/ की जा रही विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं हेतु बिछाई गयी पाइपों को क्षतिग्रस्त कर दिये जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराये जाने में कठिनाई होती है एवं जल जीवन मिशन के कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

4- अतः संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों द्वारा जनपदों के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में खुदाई से संबंधित कार्य कराये जाने से पूर्व संबंधित कार्य की ड्राईंग/ डिटेल्स आदि संबंधित जनपद के अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) से साझा करते हुए उक्त कार्य क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु बिछाई गयी पाइप लाइन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली जाए। इसके बाद ही यथावश्यक खुदाई आदि का कार्य सावधानी पूर्वक कराया जाए, जिससे जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बिछाई गई पाइप लाइन क्षतिग्रस्त न हो।

यह भी स्पष्ट करना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में, पेयजलापूर्ति की विभिन्न पाइप लाइन आदि की मरम्मत/ पुनर्निर्माण के कार्य पर आने वाले व्यय का वहन / प्रतिपूर्ति संबंधित विभागों द्वारा किया जाएगा।

भवदीय,

Signed by
(मनोज कुमार सिंह)
Manoj Kumar Singh
मुख्य सचिव।
Date: 01-10-2024 15:29:39

संख्या: 67 /2024/ 2058 (1)/76-1-2024/1636701 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Anurag Srivastava
(अनुराग श्रीवास्तव)
Date: 04-10-2024 17:44:46
प्रमुख सचिव।